Ll.b.
2semester
Legal history.

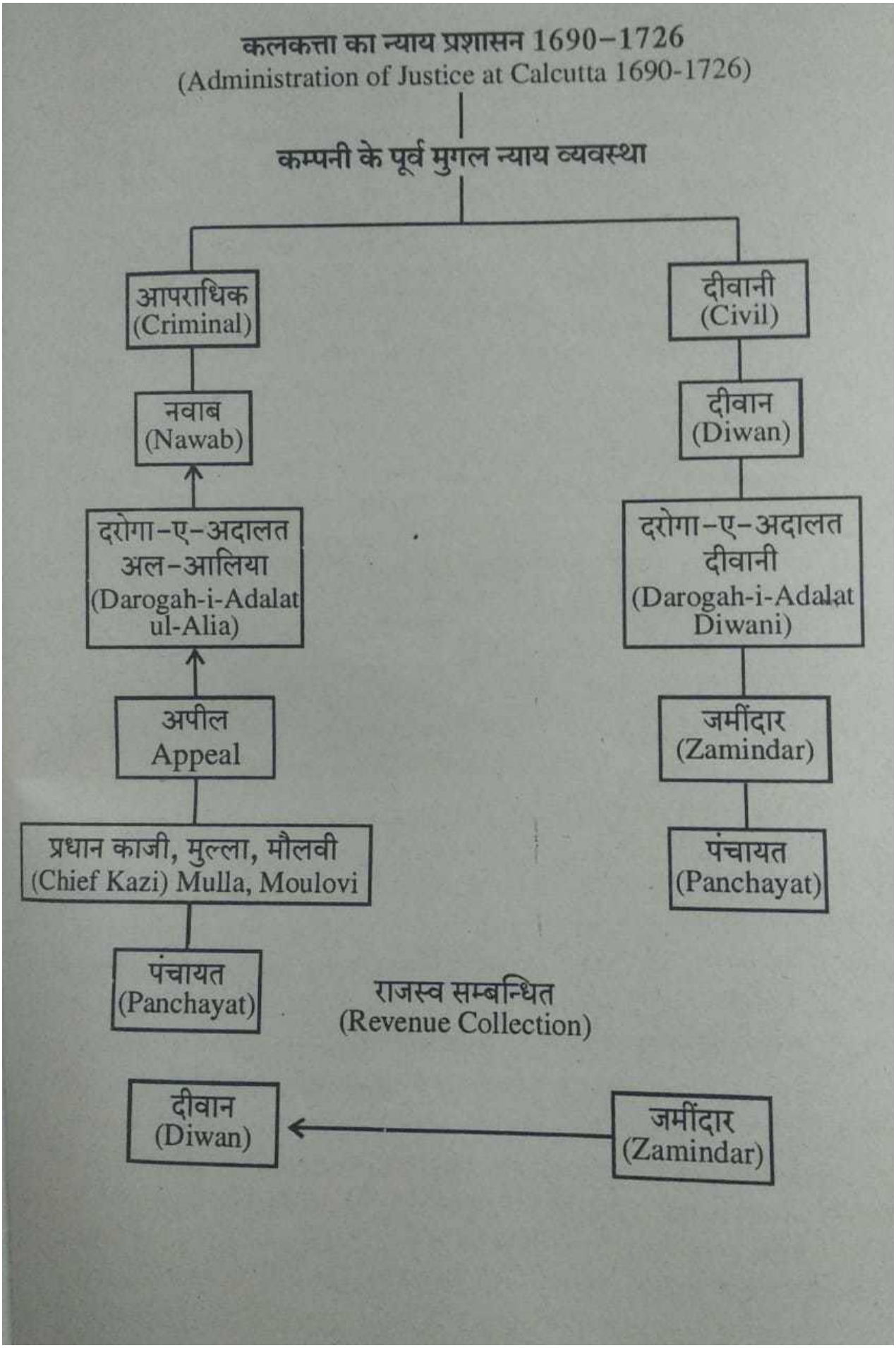
कलकत्ता का न्याय प्रशासन 1690–1726
(Administration of Justice at Calcutta 1690-1726)
कम्पनी के पूर्व मुगल न्याय व्यवस्था
आपराधिक
(Criminal)
दीवानी
(Civil)
नवाब
(Nawab)
दीवान
(Diwan)
दरोगा–ए–अदालत
अल–आलिया
(Darogah-i-Adalat
ul-Alia)
दरोगा–ए–अदालत
दीवानी
(Darogah-i-Adalat
Diwani)
अपील
Appeal
जमींदार
(Zamindar)
प्रधान काजी, मुल्ला, मौलवी
(Chief Kazi) Mulla, Moulovi
पंचायत
(Panchayat)
पंचायत
(Panchayat)
राजस्व सम्बन्धित
(Revenue Collection)
दीवान
(Diwan)
जमींदार
(Zamindar)

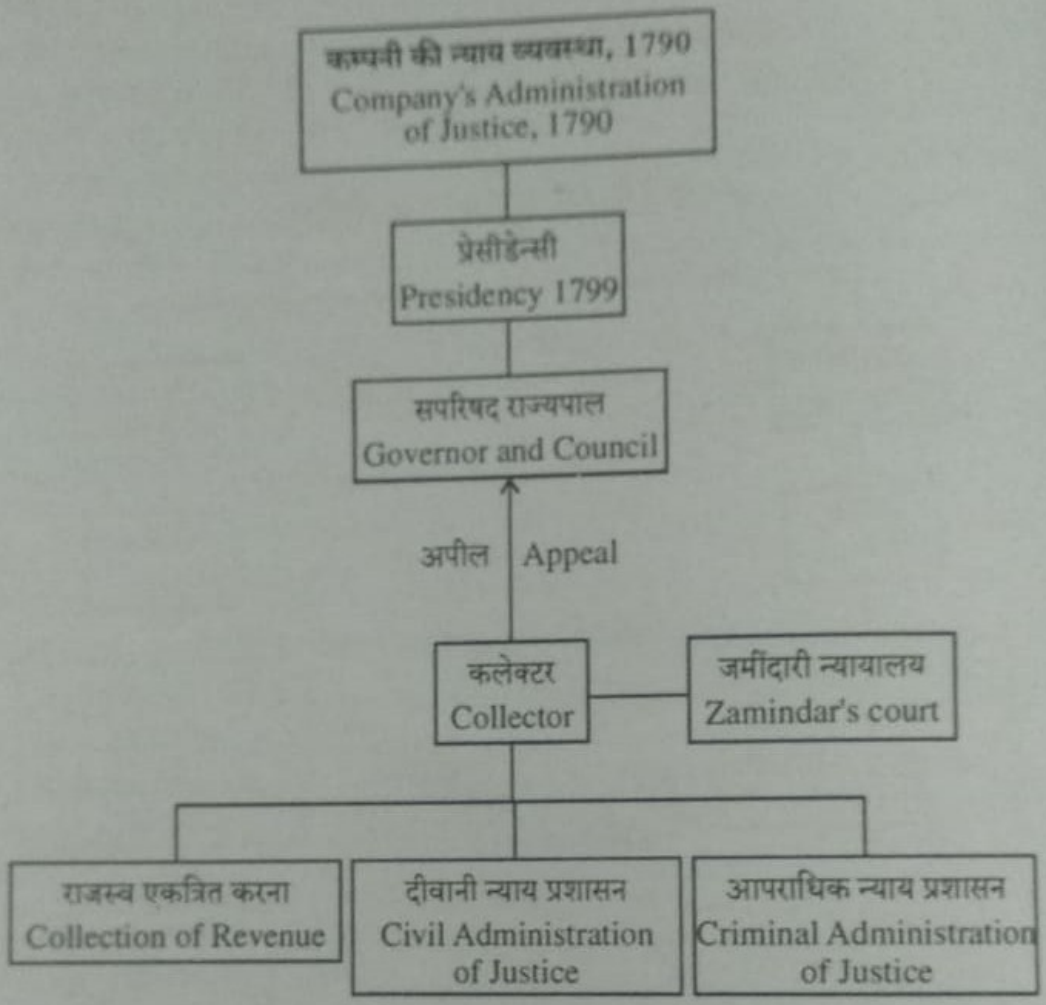

(1) मुगल शासन की न्याय व्यवस्था—जमींदारों का मुख्य कार्य राजस्व वसूली करना एवं न्याय व्यवस्था बनाये रखना था। प्रारम्भ में इनको महत्वपूर्ण न्यायिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। दीवानी एवं आपराधिक वादों के लिए, काजी का न्यायालय था। प्रत्येक परगने से सूबे तक। इनके साथ-साथ गांवों में गांव पंचायतें भी कार्य करती थीं। इनका भी न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान था। गांव पंचायतों को साधारण दीवानी वादों की सुनवाई करने की शक्ति थी। गांव पंचायत से अपील जिले के काजी के पास एवं जिले से सूबे के काजी के पास दीवानी एवं आपराधिक मामलों में की जा सकती थी। न्याय व्यवस्था साधारण एवं सुव्यवस्थित थी। निवासी अपने वादों को काजी की जगह गांव पंचायतों में ले जाना ज्यादा पसन्द एवं सुविधाजनक समझते थे।

हिन्दुओं के लिए कोई सुव्यवस्थित न्याय व्यवस्था नहीं थी। वे अपनी दीवानी वादों को बुजुर्गों या ब्राह्मणों द्वारा निपटवाया करते थे।

मुगल साम्राज्य की नींव कमजोर होने लगी। साथ-साथ मुगल नवाब की शक्ति भी कमजोर होने लगी। उसकी न्याय व्यवस्था पर पकड़ कमजोर पड़ने लगी जिसके परिणामस्वरूप काजी का पद वंशानुगत या ऊंची बोली में खरीदा जाने लगा। योग्य व शिक्षित व्यक्ति इस पद पर कार्य करना पसन्द नहीं करते थे। काजियों को वेतन सही समय पर नहीं मिलता था, फलस्वरूप न्यायालयों में भ्रष्टाचार पनपने लग गया। न्याय खरीदा जाने लगा। न्याय का स्तर गिर गया। काजी मनमाने तरीके से निर्णय देने लगे। ज्यादातर काजी न्यायालयों ने कार्य करना बन्द कर दिया। एक सुव्यवस्थित व्यवस्था प्रायः समाप्ति की ओर अग्रसर होने लगी। इसका परिणाम हुआ कि जनता जमींदारों के पास न्याय प्राप्त करने जाने लग गई।

जमींदारों द्वारा न्यायिक शक्तियों का प्रयोग किया जाने लगा। वे सभी तरह के दीवानी व आपराधिक मामलों की सुनवाई करने लग गये। इनके निर्णयों की अपील मुर्शिदाबाद के न्यायालयों में की जा सकती थी। जमींदारों को नवाब की अनुमति से मृत्युदण्ड देने का भी अधिकार था। नवाब के न्यायालयों की दशा भी अन्य न्यायालयों की तरह अच्छी नहीं थी। आपराधिक व दीवानी न्याय व्यवस्था के लिए दो उच्चस्तरीय न्यायालय थे।

आपराधिक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नवाब हुआ करता था, परन्तु कालान्तर में उसने अपनी न्यायिक शक्ति, अपने सहायक उपनवाब जिसे दरोगाए आलिया कहा जाता था को दे दी।

दीवानी उच्च न्यायालय—दरोगा ए अदालत दीवानी के नाम से जानी जाती थी। इसका मुख्य न्यायाधीश सूबे का दीवान होता था, जो सूबे की मालगुजारी वसूली के साथ-साथ इस न्यायालय में दीवानी वादों को व निम्न स्तरीय न्यायालयों से अपील सुनता था। कालान्तर में उसने अपनी न्यायिक शक्तियों को उपदीवान को हस्तांतरित कर दिया।

दीवानी तथा आपराधिक न्यायालयों का विभाजन पूर्ण रूप से नहीं था। अपराधिक न्यायालयों द्वारा सम्पत्ति सम्बन्धी वादों की सुनवाई भी कर ली जाती थी।

कुरान, उसके टीकाकार स्थानीय रीति-रिवाज प्रथायें व रूढ़ियां ही उस समय विधि के मुख्य स्रोत थे। उस समय किस विधि का किस प्रकार के वादों में प्रयोग किया जायेगा यह भी निश्चित नहीं था। न्यायिक अधिकारी प्राय: अपने स्वविवेक पर ही न्याय किया करते थे।

(2) कलकत्ते में कम्पनी की न्याय व्यवस्था—कम्पनी द्वारा जमींदारी प्राप्त करते ही, कम्पनी को तीन गांव पर न्याय व अन्य अधिकार प्राप्त हो गये। जो उस समय के स्थानीय सामान्य जमींदारों को प्राप्त थे।

कलेक्टर की नियुक्ति—1700 ई. में कम्पनी ने जमींदारी के कार्य परिषद् के एक सदस्य को सौंप दिये जिसे कलेक्टर कहा गया। कलकत्ता का पूर्ण न्याय प्रशासन कलेक्टर के हाथों में केन्द्रित था।

कलेक्टर का कार्य राजस्व एकत्रित करना एवं न्यायिक कार्य करना था।

कलेक्टर को आपराधिक, दीवानी व राजस्व सम्बन्धित सभी वादों को निर्णित करने का अधिकार दिया गया था। इन वादों की सुनवाई व निर्णय, वह अलग-अलग न्यायालयों में बैठकर किया करता था।

(i) आपराधिक फौजदारी न्यायालय—इस न्यायालय में आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती थी। मामलों की सुनवाई संक्षिप्त रूप में की जाती थी। साधारण व जघन्य दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती थी। साधारण मामलों में समुचित दण्ड देने की शक्ति प्रदान की गई थी। दण्ड प्राय: जुर्माना, साधारण कारावास, कोड़ों की मार, देश निकाला के रूप में होता था। गम्भीर व जघन्य अपराधों में राज्यपाल व परिषद् की अनुमति के बिना दण्ड का निष्पादन नहीं किया जा सकता था।

(ii) दीवानी अदालत—दीवानी व राजस्व सम्बन्धित वादों की सुनवाई की जाती थी। इसका पीठासीन अधिकारी कलेक्टर से होता था। संक्षिप्त प्रणाली द्वारा वादों की सुनवाई की जाती थी। 100 रु. से ज्यादा के मूल्यांकन वाले वादों के निर्णयों से अपील राज्यपाल व परिषद् को की जा सकती थी तथा उसकी सहायता के लिये चार या पांच सहायक अधिकारी थे जो कम्पनी के कर्मचारी होते थे।

कम्पनी की न्याय व्यवस्था नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध थी। सारे अधिकार व शक्तियाँ एक ही व्यक्ति कलेक्टर के हाथों में केन्द्रित कर दिये गये थे।

कम्पनी व स्थानीय न्याय व्यवस्था में अन्तर

अंग्रेजों से सम्बन्धित कम्पनी की न्याय व्यवस्था—कलेक्टर के न्यायालयों द्वारा अंग्रेजों के साधारण, दीवानी व अपराधिक वादों के निर्णय दिये जा सकते थे। गंभीर वादों को निर्णित करने का अधिकार राज्यपाल व परिषद् को ही था।

दीवानी न्याय व्यवस्था स्थानीय निचली दीवानी अदालतों से अपील दीवान के न्यायालयों में की जाती थी।

कम्पनी की दीवानी अदालतों से अपील राज्यपाल व परिषद् को भेजी जाती थी।

आपराधिक न्याय व्यवस्था—दीवानी न्याय व्यवस्था की तरह ही स्थानीय जमींदार एवं अपराधिक न्यायालयों द्वारा गंभीर व कठोर अपराधों में दिये जाने वाले दण्डों का अनुमोदन नवाब द्वारा किया जाना आवश्यक था।

कम्पनी के आपराधिक न्यायालयों कलेक्टर की अदालत द्वारा गंभीर व कठोर अपराधों के लिए दण्ड के निष्पादन से पूर्व राज्यपाल व परिषद् की अनुमति आवश्यक थी।

कलकत्ता में कम्पनी के न्यायालयों ने अपने आपको स्थानीय प्रभाव से मुक्त रखा तथा अपनी एक स्वतंत्र न्याय व्यवस्था स्थापित की। कम्पनी ने स्थानीय निवासियों पर जो उसके जमींदारी भूमात्र में निवास करते थे पर अपना क्षेत्राधिकार स्थापित कर लिया चाहे वे दीवानी वाद हो या आपराधिक। 1727 ई. में 1726 ई. के राजपत्र द्वारा स्थापित मेयर न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई। कम्पनी द्वारा स्थापित उपर्युक्त जमींदारी न्यायालय भी साथ-साथ अपना कार्य करते रहे।

❑❑❑